

प्रपत्र-2.1

भाग- ॥

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - श्रीवनन्दी विमलेनी मिलिंग विकास विमलेनी - जाइडा, मोटर मार्ग लिंगमठ
ii) जिला - उत्तराखण्ड
iii) वन प्रभाग - लम्प्रभाग
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) - लम्प्रभाग वन उत्तराखण्ड 0.955 ha.
v) वन की कानूनी स्थिति - आराहित + विविल वन शर्ति
vi) हरियाली का घनत्व - 0.40 - 0.50 %
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफोआरोएलो - 8 मीटर पर परिणाम भी संलग्न किए जाए
viii) भूकरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। - अ- करण वी संभावना
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी - 1.10 Km.
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। - नहीं
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या - नहीं
8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। - प्रस्तावित मोटर मार्ग है दो सरेखण तुने गये, प्रद सरेखण उपमुक्त पाथ गय
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/ नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोनी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। - नहीं

- 10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा:-
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
 - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12— प्रभाग/जिला प्रोफाइल
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
- जिला का वन क्षेत्र।
 - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
 - 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
(ख) वनेतर भूमि पर 2021 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर
(ख) वनेतर भूमि पर
- 13— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक.....

स्थान.....

— संलग्न ₹

— रुपप्रभाग वन प्रभाग

— 1984.00 वर्ग किमी.

— 1790.995 वर्ग किमी.

— 226 प्रकरण 942.335 ha.

— X

— X

— 1510.211 ha.

— 404.137 ha.

— 1106.074 ha.

— प्रकरण विवाह कार्य संस्कृत
₹, अत, संस्कृति गी जर्ति ₹

हस्ताक्षर

उप-हड्डे संस्कृत

नाम नद्रप्रयाम-वेत्त प्रभाग

सरकारी मोहर

रुपप्रभाग